प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 973/2022

अनवान : –

1. राममुर्ति पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. सतपाल पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. सुमन पत्नी विनोद जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. अमित पुत्र विनोद जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
5. सीमा पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा **वादी**

निर्णय दिनांकः **17.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 132/123 की कुल 3.7950 हैक्ट में से वादी, प्रतिवादी स0 1, 2 व 5 धापा पत्नी बनवारीलाल एवं विनोद पुत्र बनवारी लाल प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता धापा व वादी के भाई सुभाष के नाम प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज है। वादी के पिता बनवारीलाल के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 2 व 5 व वादी की माता धापा तथा वादी के भाई विनोद को विरासतन प्राप्त हुई है। वादी की माता धापा पत्नी बनवारीलाल एवं वादी के भाई विनोद पुत्र बनवारीलाल का स्वर्गवास हो चुका है।

वादी की माता धापा की मृत्यु के बाद धापा के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 व 2 तथा 5 प्रत्येक 1/5 हिस्सा पर काबिज है तथा शेष 1/5 हिस्सा भूमि व मृतक विनोद पुत्र बनवारीलाल की नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी स0 3 व 4 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकार [illegible]ही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:56:46 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि [illegible] के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन [illegible]क आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीराम सरावग ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 6 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा मुन्सरी, जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता स0 132 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र शान्ति प्रदर्श–2, शपथ पत्र वादी प्रदर्श–3, सरपंच रिपोर्ट बाबत नाम प्रदर्श–4, सरपंच द्वारा तस्दीक वारिसनामा प्रदर्श–5, चित्रप्रति वारिसानामा प्रदर्श–6, चित्रपति वारिसनामा मय शपथ पत्र धापा देवी प्रदर्श–7, मृत्यु प्रमाण पत्र विनोद प्रदर्श–8 आदि प्रदर्शित करवायें। धापा उर्फ शान्ति पत्नी बनवारीलाल के नाम के संबंध में गोपालराम पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी व भीमराज पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी के बयान लिये गये दोनो गवाहों ने शपथ बयान किया की धापा व शान्ति एक ही महिला के नाम है तथा इनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 5 है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 132/123 की कुल 3.7950 हैक्ट में से वादी, प्रतिवादी स0 1, 2 व 5 धापा पत्नी बनवारीलाल एवं विनोद पुत्र बनवारी लाल प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जो की वादी की माता व भाई के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है धापीदेवी एवं विनोद का देहान्त हो चुका है उक्त भूमि को उनके वारिस अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री मनीराम सरावग द्वारा जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के [illegible] स्वीकार करने एवं गवाहों के बयान के आधार पर तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के [illegible] पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:56:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण की सहमति तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 132/123 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से धापा पत्नी बनवारीलाल एवं विनोद पुत्र बनवारीलाल प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज है , में मृतक धापा पत्नी बनवारीलाल एवं मृतक विनोद पुत्र बनवारीलाल का नाम कलमजन किया जाकर धापा के नाम दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 व 5 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि का एवं शेष 1/5 हिस्सा भूमि का 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा मृतक विनोद पुत्र बनवारीलाल के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा राममूर्ति पुत्री बनवारीलाल के स्थान पर राममूर्ति पुत्र बनवारीलाल का संशोधन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दलपतपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 973 / 2022
अनवान : –

1. राममुर्ति पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. सतपाल पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. सुमन पत्नी विनोद जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. अमित पुत्र विनोद जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
5. सीमा पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 973 सन 2023 निर्णय दिनांक 17.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 132 / 123 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से धापा पत्नी बनवारीलाल एवं विनोद पुत्र बनवारीलाल प्रत्येक के नाम 1 / 6 हिस्सा भूमि दर्ज है, में मृतक धापा पत्नी बनवारीलाल एवं मृतक विनोद पुत्र बनवारीलाल का नाम कलमजन किया जाकर धापा के नाम दर्ज में भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 व 5 प्रत्येक को 1 / 5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष 1 / 5 हिस्सा भूमि का 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा मृतक विनोद पुत्र बनवारीलाल के नाम दर्ज 1 / 6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा राममुर्ति पुत्री बनवारीलाल के स्थान पर राममुर्ति पुत्र बनवारीलाल का संशोधन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 17/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:46 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दलपतपुरा